न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 451 सन 2018
अनवान :–

1. दलीप पुत्र रामप्रताप जाति खाती निवासी गोगामेडी तहसील नोहर

वादी

बनाम

1. रामप्रताप पुत्र जसराम जाति खाती निवासी गोगामेडी तहसील नोहर
2. धर्मपाल पुत्र रामप्रताप जाति खाती निवासी गोगामेडी तहसील नोहर
3. मीरा पुत्री रामप्रताप जाति खाती निवासी गोगामेडी तहसील नोहर
4. कृष्णा पुत्री रामप्रताप जाति खाती निवासी गोगामेडी तहसील नोहर
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 23-10-18

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मोजा रोही मौजा चक 12 डीपीएन के खाता संख्या 125/109 के प0न0 401/448(51) किला न0 13/1 की 0.0760, 14/0.253 ,15/.228 ,16/.228 ,17/.253 ,18/0.253 ,19/0.253 ,20/0.253 ,21/.253 ,22/.253 ,23/.253 ,25/.228 हैक कुल किता 13 की 3.0370हैक भूमि प0न0 0 मु0न0 95/21 के किला न0 1/0.0750 हैक गै0मु0 खाला कुल 14 की 3. 1120हैक भूमि स्थित है जो पूर्व मे वादी के दादा जसराम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज थी जिसके देहान्त होने के बाद विरास्तन से उनके पुत्रों पर औद हुई थी जिसके आपसी सहमति से विभाजन होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में वाद भूमि आई थी। विरास्तन से भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है जिसके कारण वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ,4 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयों के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 स्वय उपस्थित आये एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा है तथा वादी का कथन हे कि प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 ने निवेदन किया की वाद भूमि वादी में उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा/ईकबाल दावा पेश किया जो शामिल मिसल किया किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने वकील वादी का सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसर वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता जसराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसर पैतृक सम्पति में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा है। वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 जो वादी की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उसने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में किया हुआ है जिसका उन्होने बाहमी बटवारा किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है इसप्रकार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,4 की आपसी सहमति के आधार पर वाद वादी काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 ने अपने हकों का त्याग किया हुआ है इसलिये राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि वादी के पास रोही मौजा चक 12 डीपीएन के खाता संख्या 125/109 के प0न0 401/448(51) के किला न0 13/2 की 0.076हैक , 14/0.253 ,15/.228 ,16/0.228 ,17/1 की 0.19035 ,, 21–22/0.506, 25/0.01265, मु0न0 95/21 के किला न0 0.050गै0मु0 खाला कुल 1.544हैक भूमि नहरी जिसमें 1.494नहरी गै0मु0 खाला 0.050हैक तथा प्रतिवादी संख्या 2 के पास रोही मौजा चक 12 डीपीएन के खाता संख्या 125/109 के प0न0 401/448(51) के किला न0 17/2 की 0.06265हैक 18 ,19 ,20/0.759हैक 23 ,24 की 0.506हैक 25/0.2135हैक मु0न0 95/21 के किला न0 1/0.025हैक गै0मु0खाला कुल 1.568हैक भूमि जिसमें नहरी 1.543हैक 0.025गै0मु0खाला की भूमि रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलगन 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 23.10.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

Sd/-

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official